खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू)

संदर्भ: 1 नवंबर, 2023 से, खरीदार खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)) के तहत 200 मीट्रिक टन तक गेहूं खरीद सकते हैं, और गेहूं की उपलब्धता और मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कुल राष्ट्रव्यापी ई-नीलामी मात्रा को 3 एलएमटी तक बढ़ा दिया गया है।

- चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने की भारत सरकार की पहल के हिस्से के रूप में, गेहूं और चावल दोनों के लिए साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 की 18वीं ई-नीलामी 26 अक्टूबर, 2023 को हुई, जिसमें देश भर में 444 डिपो से 2.01 एलएमटी गेहूं की पेशकश की गई।
- एफएक्यू गेहूं और यूआरएस गेहूं दोनों बेचे गए, एफएक्यू गेहूं अपने आरक्षित मूल्य से अधिक था।
- **ओएमएसएस (डी)**
  - ओएमएसएस एफसीआई द्वारा प्रबंधित एक कार्यक्रम है जो खुले बाजार में केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न, मुख्य रूप से गेहूं और चावल की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है।
  - **उद्देश्य और लक्ष्य:**
    - कमी के मौसमों में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाना।
    - खुले बाजार के मूल्यों को विनियमित करना और मुद्रास्फीति को प्रबंधित करना।
    - घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    - केंद्रीय पूल से अतिरिक्त खाद्यान्न की बिक्री को सक्षम करना।
  - **कार्यान्वयन और प्रक्रिया:**
    - एफसीआई व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं और खुदरा श्रृंखलाओं के लिए पूर्व निर्धारित कीमतों पर निर्दिष्ट खाद्यान्न मात्रा खरीदने के लिए ई-नीलामी आयोजित करता है।
    - राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत वितरण के लिए ओएमएसएस के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न खरीद सकते हैं।
    - गेहूं के लिए साप्ताहिक ओएमएसएस नीलामी एफसीआई द्वारा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है।
- **भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)**
  - 1965 में स्थापित एफसीआई, 1964 के खाद्य निगम अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है।
  - एफसीआई भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है।
  - यह अकाल के समय के लिए खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखता है।
  - एफसीआई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर में खाद्यान्न वितरण के लिए जिम्मेदार है।
  - एफसीआई अतिरिक्त खाद्यान्न के निपटान के लिए ई-नीलामी आयोजित करता है।
- **FAQ गेहूं**
  - FAQ गेहूं सभी निर्दिष्ट खरीद मानकों का पालन करता है।
  - सामान्य FAQ गेहूं की किस्मों में सुनहरा या हल्का पीला रंग होता है, जिसमें अनाज अंधकार या धारियों से मुक्त होते हैं।
  - FAQ गेहूं पर्याप्त रूप से सूखा होता है और सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो कि यदि अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो प्रयोगशाला परीक्षण के अधीन हैं।

क्रेडिट सूचना कंपनियाँ

संदर्भ: आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निर्देश दिया है कि जब बैंक और एनबीएफसी अपनी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) तक पहुंचें तो ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित करें।

- क्रेडिट संस्थानों (बैंकों और NBFCs) को CICs को मौजूदा क्रेडिट पर डिफ़ॉल्ट या डेज़ पास्ट ड्यू (DPD) की रिपोर्ट करते समय ग्राहकों को SMS या ईमेल के माध्यम से सतर्क करना आवश्यक है।
- ये नियम छह महीने के भीतर प्रभावी हो जाएंगे।
- **सीआईसी**
  - भारत में क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी) व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए क्रेडिट जानकारी का रखरखाव और विश्लेषण करती हैं। उन्हें यह डेटा बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से प्राप्त होता है।
  - प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करके, सीआईसी व्यक्तियों के लिए क्रेडिट स्कोर और कंपनियों के लिए क्रेडिट रैंक की गणना करते हैं, उनकी साख योग्यता और पिछले क्रेडिट इतिहास का आकलन करते हैं।
  - एक उच्च क्रेडिट स्कोर ग्राहकों को अनुकूल दरों पर ऋण सुरक्षित करने में मदद कर सकता है, जबकि कम स्कोर, जो अक्सर पिछले ऋण चूक के परिणामस्वरूप होता है, ऋण या क्रेडिट प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बना सकता है। हालाँकि, ऋण स्वीकृति के लिए क्रेडिट स्कोर एकमात्र निर्धारक नहीं है।
  - भारत में प्रमुख सीआईसी में ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स इंडिया और सीआरआईएफ हाई मार्क शामिल हैं। क्रेडिट स्कोर आम तौर पर 300 से 850 तक होता है, जिसमें 700 का स्कोर अच्छा माना जाता है।
  - सीआईसी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियां हैं जो अपने सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ ऋण और क्रेडिट कार्ड से संबंधित वित्तीय डेटा एकत्र और साझा करती हैं।
  - इन कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत होना चाहिए और सीआईसी अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

- सीआईसी व्यक्तिगत क्रेडिट इतिहास के आधार पर क्रेडिट सूचना रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर बनाते हैं, उन्हें नकारात्मक डेटा और सकारात्मक डेटा में वर्गीकृत करते हैं।
- जब व्यक्ति बैंकों या एनबीएफसी जैसे ऋणदाताओं के पास ऋण या क्रेडिट के लिए आवेदन करते हैं, तो ऋणदाता सीआईसी से आवेदक के क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट सूचना रिपोर्ट की जांच करता है।
- भारत में सभी सीआईसी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और क्रेडिट सूचना व्यवसाय में काम करने के लिए उनके पास पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- सीआईसी क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन अधिनियम (सीआईसी अधिनियम), 2005 द्वारा शासित होते हैं, और आरबीआई नियमों और दिशानिर्देशों के साथ-साथ क्रेडिट सूचना कंपनी, विनियम और नियम अधिनियम, 2006 का पालन करते हैं।
- **वर्तमान में, भारत में चार सीआईसी कार्यरत हैं:** क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल), इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

➢ **क्रेडिट रेटिंग**

- क्रेडिट रेटिंग किसी उधारकर्ता की साख का मूल्यांकन है, चाहे वह किसी विशिष्ट ऋण के लिए हो या व्यापक संदर्भ में।
- यह व्यक्तियों, निगमों, राज्य या प्रांतीय प्राधिकरणों और संप्रभु सरकारों सहित विभिन्न संस्थाओं पर लागू होता है, जब वे धन उधार लेना चाहते हैं।

➢ **क्रेडिट सूचना रिपोर्ट**

- क्रेडिट के लिए आवेदन करते समय क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) ऋणदाता के निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
- रिपोर्ट में उनका पूरा क्रेडिट इतिहास, बैंकों और एनबीएफसी से लिए गए ऋण शामिल हैं।
- CIBIL™, इक्विफैक्स और एक्सपीरियन जैसे क्रेडिट ब्यूरो कई क्रेडिट संस्थानों से डेटा को एक ही CIR में संकलित करते हैं।
- सीआईआर पिछले भुगतान प्रदर्शन का विवरण देता है, जिसमें समय पर भुगतान और चूक दोनों शामिल हैं।
- यह क्रेडिट अनुमोदन उद्देश्यों के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी द्वारा की गई पूछताछ को भी सूचीबद्ध करता है।
- उनकी साख को प्रबंधित करने और आवश्यक होने पर सुधार करने के लिए लगातार सीआईआर निगरानी महत्वपूर्ण है।

भारत में भूमि निम्नीकरण

संदर्भ: यूएनसीसीडी आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2019 तक, भारत की लगभग 30.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि का क्षरण हुआ।

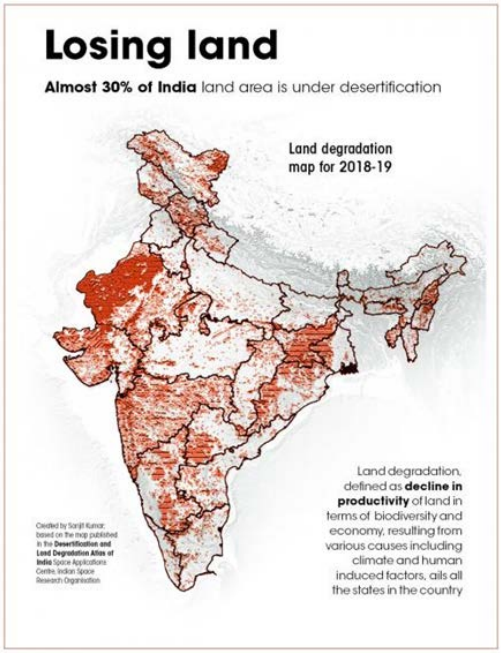

- यूएनसीसीडी डेटा के अनुसार, 2019 में देश की बंजर भूमि का 9.45% हिस्सा था, जो 2015 में 4.42% से वृद्धि दर्शाता है।
- यह डेटा वर्ष 2019 की रिपोर्टिंग पर आधारित है और 2015 से 2019 की अवधि को आधार रेखा के रूप में उपयोग करता है।
- 2019 में, भारत की 18.39% आबादी, जो कुल 251.71 मिलियन लोग हैं, इसी अवधि के दौरान भूमि क्षरण के संपर्क में थी।
- इसके अतिरिक्त, डेटा के अनुसार, 2015 से 2018 तक भारत में 854.4 मिलियन लोग सूखे के चपेट में थे।
- सूखा से प्रभावित कुल भूमि क्षेत्र की गणना विभिन्न सूखा तीव्रता वर्गों के तहत रिपोर्ट किए गए क्षेत्र को जोड़कर की जाती है, जिसमें हल्का, मध्यम, गंभीर और अत्यधिक शामिल हैं।
- जैसा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है, वैश्विक स्तर पर, 2015 से 2019 तक, दुनिया ने हर साल न्यूनतम 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ और उत्पादक भूमि खो दी।
- यूएनसीसीडी डेटा डैशबोर्ड चयनित देशों के लिए भूमि क्षरण तटस्थता और रणनीतिक उद्देश्यों से संबंधित रिपोर्ट किए गए स्वैच्छिक लक्ष्यों की भी जानकारी प्रदान करता है।
- डैशबोर्ड 126 पार्टियों की 2022 UNCCD राष्ट्रीय रिपोर्टों से संकलित डेटा पर आधारित है, जो भूमि क्षरण तटस्थता के संबंध में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रगति का आंशिक अनुमान प्रस्तुत करता है क्योंकि सभी पार्टियों ने हर संकेतक के लिए स्थिति और रुझानों की सूचना नहीं दी है।

➢ **मरुस्थलीकरण से निपटने पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन**

- 1994 में स्थापित, UNCCD एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण और विकास को जोड़ता है।
- यह शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र और आबादी मौजूद हैं।
- यह कन्वेंशन शुष्क भूमि में रहने की स्थिति में सुधार, भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को संरक्षित और बहाल करने 5 तथा सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए 197 देशों को एकजुट करता है।
- UNCCD भूमि, जलवायु और जैव विविधता की चुनौतियों को दूर करने के लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (CBD) और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के साथ सहयोग करता है।
- UNCCD का 2018-2030 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता है, जिसका उद्देश्य निम्नीकृत भूमि को बहाल करना, 1.3 बिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका को बढ़ाना और सूखे के प्रभावों को कम करना है।
- सतत विकास लक्ष्य 15 के अनुरूप, UNCCD वर्तमान और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रह को क्षरण से बचाने, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने और जलवायु कार्रवाई करने के लिए समर्पित है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

28 October, 2023

संसदीय स्थायी समिति

संदर्भ: गृह मामलों की समिति ने विपक्ष के दबाव में आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन विधेयकों पर रिपोर्ट देने में देरी की तथा समीक्षा के लिए और समय मांगा है।

- संसदीय समिति में वे सांसद होते हैं जो या तो निर्वाचित होते हैं, सदन के भीतर से नियुक्त होते हैं, या स्पीकर या चेयरमैन द्वारा नामित किए जाते हैं।
- संसदीय समितियों की अवधारणा की जड़ें ब्रिटिश संसद में हैं।
- ये समितियां लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं।
- वे अपने निष्कर्ष और सिफारिशें संसद के संबंधित सदनों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- संसदीय समितियों को अपना अधिकार संविधान से प्राप्त होता है।
- संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उनके सदस्यों, समितियों सहित, की शक्तियों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को संबोधित करता है।
- अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रक्रियाओं और अपने कामकाज को संचालित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
- भारत में संसदीय समितियों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां।
- **स्थायी समितियां स्थायी होती हैं और सार्वजनिक नीति या प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होती हैं।**
  - इन समितियों का गठन संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत में किया जाता है और यह सत्र समाप्त होने तक कार्यरत रहती हैं।
  - स्थायी समितियों के उदाहरणों में 30 सदस्यों वाली प्राक्कलन समिति, 22 सदस्यों वाली लोक लेखा समिति (लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7), और 22 सदस्यों वाली सार्वजनिक उपक्रम समिति (लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7) शामिल हैं।
  - इन समितियों में सदस्यों का कार्यकाल आम तौर पर एक वर्ष होता है।
  - स्थायी समितियों के सदस्य विशिष्ट समिति के आधार पर या तो लोकसभा या दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
- **तदर्थ समितियां**
  - वे एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर गठित अस्थायी समितियां हैं।
  - ये समितियां सीमित अवधि के लिए कार्य करती हैं, आम तौर पर तब तक जब तक उनका निर्दिष्ट कार्य पूरा नहीं हो जाता।
  - इनकी प्राथमिक भूमिका विशिष्ट विधेयकों की जांच करना और उन पर रिपोर्ट देना या जनता की महत्वपूर्ण चिंता के मामलों की जांच करना है।
  - अपने निर्दिष्ट कार्य को समाप्त करने के बाद, तदर्थ समितियां भंग कर दी जाती हैं।
  - तदर्थ समितियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: जांच समितियां और सलाहकार समितियां।
  - उल्लेखनीय तदर्थ समितियों में विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियां, रेलवे सम्मेलन समिति और संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति शामिल हैं।
- **कार्य**
  - **सरकारी कामकाज की निगरानी:** ये समितियां सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का आकलन करती हैं और सुधार के लिए सुझाव देती हैं।
  - **मंत्रियों और अधिकारियों को समन करने का अधिकार:** उनके पास अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में पूछताछ के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की उपस्थिति का अनुरोध करने की क्षमता है।
  - **विधेयकों की जांच:** संसदीय समितियां विधेयकों के कानून बनने से पहले उनकी गहन समीक्षा और मूल्यांकन करके विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - **सिफ़ारिशें पेश करना:** उनके पास विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करने की क्षमता है, जिससे संविधान और मौजूदा कानूनों के साथ उनका संरेखण सुनिश्चित हो सके।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले के संबंध में पश्चिम बंगाल के वन मंत्री को गिरफ्तार किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है।
- यह खाद्यान्नों के किफायती वितरण के माध्यम से खाद्य कमी को प्रबंधित करने के लिए विकसित किया गया था।
- इस योजना को जून 1947 में शुरू किया गया था।
- यह अलग-अलग भूमिकाओं के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन संचालित होती है।

भारत में PDS का विकास:

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राशनिंग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी।
- 1960 के दशक में, खाद्य कमी से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और भारतीय खाद्य निगम (FCI) का गठन किया गया।
- 1992 में रिवाम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (Revamped Public Distribution System -**RPDS**) लॉन्च किया गया।
- गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) शुरू की गई थी।
- सबसे गरीब BPL परिवारों के लिए 2000 में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शुरू की गई थी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने यह सुनिश्चित किया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से भोजन का अधिकार कानूनी अधिकार बन जाए।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

ग्लो वर्म

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम में ग्लो वर्म (**Glow Worms**) के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

ग्लो वर्म (Glow Worms)के बारे में:

- ग्लो वर्म (लैम्पिरीस नोक्टिलुका) बायोलुमिनेन्सेंट कीड़े हैं जो लैम्पिरिडे परिवार से संबंधित हैं, जो मुख्य रूप से बीटल ऑर्डर कोलोप्टेरा में पाए जाते हैं।
- वे एक बायोलुमिनेन्सेंट चमक उत्सर्जित करते हैं, मुख्य रूप से मादाएं साथी को आकर्षित करने के लिए।

आवास और आहार:

- ग्लो वर्म को घोंघों की बहुतायत के साथ प्राकृतिक घास वाले आवास की आवश्यकता होती है, जिसे वे अपने प्राथमिक भोजन स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं।
- चमक वाले कीड़ों के लार्वा घोंघे में एक लकवाग्रस्त विष इंजेक्ट करते हैं और उनके अंदर के अंगों का सेवन करते हैं।

एवियन फ्लू

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंटार्कटिक क्षेत्र के स्कुआ समुद्री पक्षी प्राथमिक रूप से एवियन फ्लू से प्रभावित हुए हैं।

एवियन फ्लू के बारे में:

- एवियन फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा, मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाली एक वायरल बीमारी है।
- यह हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और इसे निम्न रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (LPAI) और अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (HPAI) में वर्गीकृत किया गया है।
- एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को सतह प्रोटीन, जैसे H5N1 और H7N9 के आधार पर विभिन्न उप-प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
- एवियन इन्फ्लुएंजा सीधे संपर्क, दूषित सतहों और श्वसन स्राव के माध्यम से पक्षियों के बीच प्रसारित हो सकता है।

स्कुआ के बारे में:

- स्कुआ शिकारी समुद्री पक्षी हैं जो आमतौर पर ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- ये मध्यम से बड़े आकार के पक्षी हैं जिनकी विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिनमें गहरे रंग का पंख और मजबूत, झुके हुए चोंच शामिल हैं।
- स्कुआ अवसरवादी शिकारी हैं जो अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं।
- वे अक्सर विभिन्न प्रकार के शिकार को खाते हैं, जिनमें मछली, छोटे पक्षी और मैले मांस शामिल हैं।

शुक्र ग्रह पर टेक्टोनिक गतिविधि

हाल ही में, एक नए शोध से पता चलता है कि पृथ्वी के जुड़वां ग्रह शुक्र टेक्टॉनिक गतिविधियों के कारण अरबों साल पहले सूक्ष्मजीवी जीवन का घर रहा होगा।

शुक्र पर टेक्टोनिक गतिविधि:

- शोध के अनुसार, शुक्र ने लगभग 4.5 से 3.5 अरब वर्ष पहले टेक्टोनिक गतिविधि का अनुभव किया था।
- शुक्र पर प्लेट टेक्टोनिक्स ने संभवतः इसके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (96.5%) और नाइट्रोजन (3.5% से कम) से बना है।
- पृथ्वी और शुक्र दोनों पर प्लेट टेक्टोनिक्स की उपस्थिति अतीत में दोनों ग्रहों के बीच अधिक समानता का संकेत देती है।

शुक्र पर टेक्टॉनिक गतिविधि संभवतः तब बंद हो गई जब इसमें पानी कम हो गया और इसका वातावरण बहुत गर्म और घना हो गया, जिससे टेक्टॉनिक गतिविधियां बाधित हो गईं।

समाचारों में स्थान

बेरिंग सागर

एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि आर्कटिक से बेरिंग सागर तक समुद्री बर्फ का प्रवाह कम होने से पूर्वोत्तर चीन में जंगल की आग का खतरा बढ़ गया है।

बेरिंग सागर के बारे में:

- बेरिंग सागर प्रशांत महासागर के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक सीमांत समुद्र है।
- यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है।
- उत्तर में, बेरिंग सागर बेरिंग जलडमरूमध्य के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ता है।
- यह समुद्र पूर्व में अमेरिकी राज्य अलास्का, पश्चिम में रूस के कामचटका प्रायद्वीप और सुदूर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण में अलेउतियन द्वीप समूह से घिरा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच की सीमा समुद्र और बेरिंग जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है।

भूवैज्ञानिक विशेषताएं:

- बेरिंग सागर में लगभग 16 पनडुब्बी घाटियाँ (**submarine canyons**) हैं।
- समुद्र के केंद्र में स्थित ज़ेमचुग घाटी दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी पनडुब्बी घाटी है।
- बेरिंग सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ अनादिर और युकोन नदियाँ हैं।

समाचारों में स्थान

कतर

हाल ही में, भारत ने कतर की एक अदालत द्वारा आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाए जाने के मुद्दे के समाधान के लिए विवेकपूर्ण प्रयास शुरू किए हैं।

कतर: (राजधानी:दोहा)

- **स्थान**: कतर पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप के उत्तरपूर्वी तट पर स्थित है।
- **राजनीतिक सीमाएँ:** इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में सऊदी अरब के साथ साझा होती है और अन्य सभी तरफ फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है।

भौगोलिक विशेषताएं :

- दक्षिण-पूर्व में, खोर अल अदैद है, जिसे "अंतर्देशीय सागर" के रूप में जाना जाता है, जिसमें फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार के आसपास रेत के टीले हैं।
- कतर के पश्चिमी भाग में, जेबेल दुखन श्रेणी में कम चूना पत्थर के अवशेष शामिल हैं।
- कतर का सबसे ऊँचा स्थान, कुरैन अबू अल बाउल, जेबेल दुखन रेंज का हिस्सा है।
- जेबेल दुखन क्षेत्र में कतर के मुख्य तटवर्ती तेल भंडार हैं।

POINTS TO PONDER

- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत किस प्रकार की सरोगेसी की अनुमति है? - **परोपकारी सरोगेसी**
- बेटेल्गेयूज़ तारा (Betelgeuse star) किस तारामंडल में स्थित है? - **ओरायन नक्षत्र (- Orion constellation)**
- किन देशों ने नदी डॉल्फ़िन के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाया है? - **बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला**
- भारतीय कार्बन बाजार के संदर्भ में PAT का पूर्ण रूप क्या है? - **"प्रदर्शन करें, उपलब्धि हासिल करें और व्यापार करें" ("Perform, Achieve and Trade")**
- वह पुर्तगाली यात्री कौन है जिसने विजयनगर साम्राज्य में वज्र मुश्ती कलागा कुश्ती को देखा था? - **फर्नाओ नुनिज़ (Fernão Nuniz)**